पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 2125/अका./का.प./03 रायपुर, दिनांक 12 दिसंबर, 2003

कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 06.12.2003 को 5.00 बजे कुलपति कक्ष में आहूत की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

उपस्थित सदस्य :

1.	प्रो. बी.पी. चन्द्रा, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. जी.एल. मूँदड़ा	-	सदस्य
3.	डॉ. ओ.पी. वर्मा	-	सदस्य
4.	डॉ. (श्रीमती) गीता तिवारी	-	सदस्य
5.	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	-	सदस्य
6.	डॉ. डी.के. कटारिया	-	सदस्य
7.	श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर	-	सदस्य
8.	डॉ. ए.के. बंसल	-	सदस्य
9.	डॉ. (कु.) हेमलता महोबे	-	सदस्य
10.	डॉ. ए.सी. जैन	-	सदस्य
11.	श्री ए. मिंज, कुलसचिव	-	सचिव

पद क्रमांक 8/1 स्थानीय (विश्वविद्यालय परिसर से बाहर) शिक्षकों एवं कर्मचारियों को यातायात भत्ता वर्तमान में मात्र रु. 25=00 दिया जाता है, जो अध्यादेश 10 के अनुसार लागू है। देवि.अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर एवं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में शिक्षकों हेतु 100=00 रु. एवं कर्मचारियों हेतु 50=00 रु. निर्धारित की गई है, अत: प्रस्तावित है कि यहाँ भी इसी दर को लागू किया जावे। तद्नुसार अध्यादेश क्र. 10 के कंडिका 2 में संशोधन किया जावे।

निर्णय : कार्यपरिषद द्वारा शिक्षकों एवं कर्मचारियों को यातायात भत्ता रु. 25/- से बढ़ा कर रु. 50/- किया जाना अनुमोदित किया।

पद क्रमांक 9/2 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ने पत्र क्रमांक 11013/103003 - एस.सी.डी.आई. दिनांक 16 दिसंबर 2003 के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में मिडिल स्कूल हायर सेकेण्डरी, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण करने का प्रस्ताव आमंत्रित किया है। निर्माण कार्य के लिए केन्द्र सरकार 45% अनुदान देगी शेष 45% अनुदान राज्य शासन एवं 10% राशि विश्वविद्यालय को वहन करना होगा। अत: छात्रावास निर्माण की कुल राशि का 10% राशि विश्वविद्यालसय द्वारा वहन करने के लिए स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

निकट भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटि इंन्स्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नालॉज़ी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए ए.आई.सी.टी.ई. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस संस्थान के प्रारंभ होने से इस संस्था में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए इस छात्रावास की सुविधा दी जा सकेगी। प्रस्तावित छात्रावास का निर्माण विश्वविद्यालय परिसर में स्थित अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग स्टडी सर्कल के पास रिक्त स्थल पर किया जा सकता है। विचार हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : प्रशासनिक अनुमति दी गई एवं प्राक्कलन तैयार किया जाए।

पद क्रमांक 12/3 कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 07.04.2000 में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से आदेश क्रमांक 1753/सा.प्रशा./2000 दिनांक 13.04. 2000 के द्वारा निम्नांकित कर्मचारियों को उनके सम्मुख दर्शाये गये कारणों से निलंबित किया गया।

क्र.	नाम	निलंबन का कारण
1.	श्री एम.आर सपहा कनिष्ठ अधिक्षक	छात्रों की विधि विरुद्ध ढंग से फ़र्ज़ी अंकसूची कर देने में सहभागी होने के कारण तथा पद का दुरूपयोग करने के कारण।
2.	श्री प्रकाश ठाकुर नि.व.लि.	फ़र्ज़ी अंकसूची तैयार कर देने में सहभागी होने के कारण तथा पद का दुरूपयोग करने के कारण।
3.	श्री नितिश तिवारी नि.व.लि.	छात्र के रूप में परीक्षा फ़ार्म के साथ फ़र्ज़ी अंकसूची प्रस्तुत करने के कारण।

निलंबित कर्मचारियों को आरोप पत्र आदि दिये गये हैं। डॉ. आर.डी. हेलोडे, मनोविज्ञान अध्ययनशाला को जाँच अधिकारी और डॉ. सुरेश मोहन, वरिष्ठ अधिक्षक को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। आरोप पत्र देने के बाद ही थाना सरस्वती नगर में भी प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा (सहायक कुलसचिव की ओर से) श्री नितिश कुमार तिवारी के विरुद्ध इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1154 दिनांक 30.03.2000 द्वारा फ़र्ज़ी अंकसूची प्रस्तुत करने के संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज़ किया गया था, अन्य कर्मचारी सर्व श्री एम.आर. सपहा एवं श्री प्रकाश ठाकुर के विरुद्ध में कोई प्रथम सूचना पुलिस थाना सरस्वती नगर में दर्ज़ नहीं है। थानेदार भारतीय दंड विधान के अंतर्गत श्री नितिश तिवारी के विरुद्ध में ही न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रायपुर के समक्ष चालान पेश हुआ है। न्याय दंडाधिकारी के आदेश दिनांक 26.11.2001 से 06.082003 तक आदेश की सत्प्रतिलिपि प्रमाणित पेश किया गया। इससे स्पष्ट है कि श्री नितिश तिवारी के अलावा और किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में न्यायालय में प्रकरण दर्ज़ नहीं है। विभागीय जाँच भी पूर्ण हो गई है और सुनवाई आरोपी कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही है। चूँकि सुनवाई पूरी हो चुकी है

और केवल दो ही कर्मचारियों को छोड़ कर सिर्फ श्री नितिश तिवारी के खिलाफ़ ही न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रकरण विचारधीन है तथा कार्यपरिषद के निर्णय के आधार पर ही निलंबन किया गया था।

निर्णय : विभागीय जाँच के प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन अध्ययन कर कार्यपरिषद में प्रस्तुत करें।

विषय क्रमांक 13/4 विश्वविद्यालय यंत्री के कार्यकाल बढ़ाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : नये विश्वविद्यालय यंत्री के लिए पत्र लिखा जाए एवं उनकी नियुक्ति तक विश्वविद्यालय यंत्री की सेवाएँ ली जाए।

विषय क्र. 5 : कुलसचिव, ग्रंथपाल, संचालक शारीरिक शिक्षा की अधिवार्षिकी आयु 60 से बढ़ा कर 62 वर्ष करने पर विचार करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

विषय क्र. 6 : इण्डोर स्टेडियम के निर्माण हेतु अनुमोदित रु. 48.52 लाख में से विश्वविद्यालय का शेयर रु. 28.52 लाख शारीरिक कल्याणशुल्क की पूर्व वर्षों की बचत राशि में से स्वीकृत करने पर विचार करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

विषय क्र. 7 : Financial Sanction of Rs. 885300=00 (Rs. Eight Lacs Eighty Five Thousand and Three Hundred only) for purchasing the Shimatzu Fourier Transform Infret (FTIR) Spectrophotometer Model 84005 out of the grant Rs. 1000000=00 (Rs. Ten Lacs) of DST FIST.

निर्णय : सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

विषय क्र. 8: डॉ. ए.के. गुप्ता, रीडर, जैविकी अध्ययनशाला एवं अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के स्थान पर डॉ. पी.बी. चन्द्राकर, अध्यक्ष, तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन अध्ययनशाला को, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के पद पर नियुक्त करने बाबत्।

निर्णय : डॉ. पी.बी. चंद्राकर को अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के पद पर नियुक्त किया जाता है। इस विषय-वस्तु पर चर्चा करते समय श्री भागवत चन्द्राकर, सदस्य सदन से बाहर थे।

विषय क्र. 9 : डॉ. एस.सी. नैथानी, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी के आचार्य पद पर दो माह तक कार्यरत रहने के उपरांत अपने मूल विभाग जैविकी अध्ययनशाला में रीडर का पद भार ग्रहण करने की सूचना ग्रहण करने बाबत्।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्र. 10 : परीक्षा प्रमाण–पत्रों एवं परीक्षा शुल्क दरों में वृद्धि करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार इस वर्ष परीक्षा शुल्क में 10% वृद्धि को स्वीकार किया गया क्योंकि शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पारिश्रमिक मानदेय में 1.6 गुना वृद्धि हुई।

विषय क्र. 11 : कु. विशिखा जोगेवार, बी.ए. भाग–दो, भूगोल विषय में कम अंक मिलने की शिकायत की जाँच हेतु गठित जाँच समिति की अनुशंसा पर छात्रा का संशोधित परीक्षा–परिणाम घोषित करने की सूचना/अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से सूचना एवं अनुमोदन को स्वीकार किया गया।

विषय क्र. 12 : एम.बी.बी.एस. अंतिम – भाग दो, परीक्षा में पीड्रियाट्रिक्स विषय (मौखिक/प्रायोगिक) अनुत्तीर्ण छात्रों की शिकायत पर विचार करने गठित जाँच समिति की अनुशंसा पर संशोधित परीक्षा–परीणाम घोषित किया गया, इसकी सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्र. 13 : 13 महाविद्यालयों को विभिन्न विषयों में सत्र 2003–04 के लिए अस्थाई संबद्धता प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर तेरह महाविद्यालयों को अस्थाई संबद्धता प्रदान की गई।

विषय क्र. 14 : डॉ. नरेश कुमार बघमार, वरिष्ठ व्याख्याता, भूगोल अध्ययनशाला को कैरियर एडवांसमेंट के तहत् रीडर पद पर पदोन्नति को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से डॉ. नरेश कुमार बघमार, वरिष्ठ व्याख्याता, भूगोल अध्ययनशाला को कैरियर एडवांसमेंट के तहत् रीडर पद पर पदोन्नति की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्र. 15 : विश्वविद्यालय वाहनों की नीलामी की स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : नीलामी हेतु खुली निविदा स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया गया था। निविदाकारों द्वारा घोषित अपलेखन दर 60,000/– से कम रु. 21,000/– एवं 15,000/– से कम रु. 7500/– प्राप्त हुआ। चूँकि वाहन खड़ी है अब और अधिक खराब होने की संभावना है अत: सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय वाहनों की नीलामी की स्वीकृति प्रदान की गई।

अंत में कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया।

कुलपति

पृ.क्र. 2126/अका./का.प./03 रायपुर, दिनांक 12 दिसंबर, 2003

प्रतिलिपि :

01. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर,
03. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर,
04. डॉ. एस. सराफ, फ़ार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
05. डॉ. अमीरचंद जैन, शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगाँव,
06. डॉ. एम.एल. नायक, आचार्य, बायो-साइंस अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
07. डॉ. ओ.पी. वर्मा, आचार्य, क्षेत्रीय अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
08. प्रो. आर.सी. मेहरोत्रा, रायपुर,
09. श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग,
10. पं. रामसुन्दर दास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर,
11. डॉ. (श्रीमती) गीता तिवारी, प्राचार्य, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर,
12. श्री रामलाल भारद्वाज, विधायक (पलारी क्षेत्र), बी-4, अयोध्या अपार्टमेंट, रायपुर,
13. श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक, देशबन्धु, रायपुर,
14. डॉ. डी.के. कटारिया, शास. आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रायपुर,
15. अशोक कुमार बंसल, प्राचार्य, बी.पी. महाविद्यालय, कांकेर,
16. डॉ. (कु.) हेमलता महोबे, प्राचार्य, दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव,
17. डॉ. जी.एल. मूँदड़ा, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
18. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
19. वित्त अधिकारी/आवासीय अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कुलसचिव